Threat By Japan regarding Anti-dumping Duties

*172. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of COMMERCE be pelased to state:

(a) whether Japan has threatened India regarding imposition of anti-dumping duties on certain products;

(b) if so, which are the" products; and

(c) whether that is a violation of any of the provisions of W.T.O regarding antidumping?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) and (b) No, Sir. Japan has not threatened India regarding imposition of Anti-Dumping Duties. However, Japan has through its embassy in India sent a Note Verbale to the Government wherein, it has sought clarification on the preliminary findings in the Anti-dumping investigation concerning Industrial Sewing Machine needles against Japan, Korea, Germany, China and Czech Republic.

(c) No provision of the Multilateral Trade Agreements has been violated regarding Anti-Dumping by India, Antidumping proceedings in India are in accordance with the Section 9(a), (b) and (c) of the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time and the Rules made thereunder, which are in accordance with the WTO agreement on Anti-dumping.

भिक्षावृत्ति की समस्या

*173. **श्रीमती सरोज दुबें** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश के विभिन्न महानगरीय शहरों में बच्चों से भीख मंगवाने का धन्धा संगठित के द्वारा संचालित होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पर्दे के पीछे काम करने वाले इन गिरोहों पकड़ने के लिए कोइ कदम उठाए है;

(ग) गत छः महीनों में ऐसे गिरोहों के कितने व्यक्तियों को पकड़ाअ गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) यद्यपि देश जे विभिन्न महानगरीय शहरों में बच्चों से भीख मंगावाने का धंधा करने के लिए बाध्य करने वाले संगठित गिरोहों के विद्यमान होने के बारे में समाचार पत्रों में समय-समय पर रिपोर्ट प्रकाश में आई आई तथापि, ऐसे संगठित गिरोहों के विद्यमान होने की पुष्टि करने के लिए सरकार के पास कोई प्रमाणित रिपोर्ट नहीं है ।

(ख) सरकार ने बच्चों द्वारा भीख मांगने सहित भिक्षाआवृति को रोकने के लिए अनेक उपाय किए है, जिनमें कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए अधिनियम , किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए प्रावधान, तथा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भिक्षु गृहों की स्थापना शामिल है ।

(ग) और (घ) यह सूचना मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है क्योंकि यह विषय राज्यों से उनके अपने-अपने विधानों के अन्तर्गत संगंधित है ।

Minority Status For Hindus

*174. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA:
SHRI RAGHAVJI:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Commission for the Minorities has asked Government to grant minority status for Hindus in some of the States;

(b) if so, which are these states and the reasons advance therefor by the Commission; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIAMTI MANEKA GANDHI): (a) and (b) Yes, Sir. The National Commission for Minorities has sent its recommendation

for according Minority status to the Hindus residing in the states of Jammu and Kashmir, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Punjab as Hindus in these States are numerically a minority as per 1991 Census reprot.

(c) The questions as to who constitutes a minority is the subject matter of a Writ petition in the supreme Court. The final decision in the matter of providing minority status will depend on the decision of the Supreme Court.

जडी-बूटियों के निर्मित उत्पादों का निर्यात

*175. **श्री कपिल सिब्बल**:

श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जडी-बूटियों से निर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए हाल ही मे स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उत्पादों का ब्यौरा क्या है और उनमें कौन –कौन सी जडी-बूटियों का प्रयोग होता है;

(ग) क्या सरकार ने इन उत्पादों के निर्यात की अधिकतम सीमा तय की है; और

(घ) यदि नही, तो उसके क्या कारण है और देश में इन जडी-बूटियों से निर्मित उत्पादों के वार्षिक उत्पादन तथा खपत का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री राक्मकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) एक्जिम नीति 1997-2002 के तहत जडी-बूटियों उत्पादों मुक्त रूप से निर्यात करने की अनुमति है । केवल कतिपय नस्लों के पौधों, पौधों के हिस्सों और उनके अपशिष्टों और वनों से प्राप्त निस्सारणों का निर्यात प्रतिबन्धित है । तथापि, रैड सैंडर्स के अपशिष्टों एव निस्सारणों को छोड़कर, इन प्रजातियोम की उत्पादित किस्मों का निर्यात उनके अपशिष्टों एव निस्सारणों समेत (मुल्यवर्धित जडी-बूटि नुस्खो समेत) निर्दिष्ट प्राधिकारी से उत्पादन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर मुक्त रुप से किए जाने अनुमति है । पौधों की ऐसी प्रजातियों की सूची "निर्यात एवं आयात मद 1997-2000 का आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण" नामक पुस्तिका के परिशिष्ट 2 अनुसूची 2 में उपलब्ध है ।

ऐसी मदों के निर्यात के लिए कोइ अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं कि गई है । आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण पुस्तक में सूचीबद्ध अधिकांश प्रजातियां वन में प्राकृतिक रूप में व्यापक पैमाने पर उगती हूई पाई जाती है और वनों के बाहर इनकी खेती लगभग नराण्य है । यही करण है कि ऐसी जडी-बूटियों के वार्षिक उत्पादन और खपत का आकलन नहीं किया जाता है और इसके आंकड़े नहीं रखे जाते है ।

Import Under OGL

*176. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have allowed the import of 200 items from SAARC nations under OGL;

(b) whether this agreement will allow the import of Sri Lankan tea to India at concessional rates; and

(c) what will be the impact of this decsion on the Indian Industry?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE):(a) to (c) The Government has allowed import of 2307 items under OGL from SAARC nations vide Public Notice No. 25 (PN)/97-02 dated 01.08.1998.

The said public Notice only allows free import of items restricted for reasons of Balance of Payments without any concession in duty.

Land for housing in Metropolitan Cities

*177. SHRI AMAR SINGH: Will the MINISTER OF URBNAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pelased to state:

(a) the approximate hectare of land in Mumbai, Delhi and other Metropolitan cities that would be available for housing and urban infrastructure development following the repeal of the Urban land (Ceiling and regulation) Act;

(b) whether Government had issued any guidelines to the State Governments to ensure the availability of dwelling units for the low and middle income persons; and